# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2761/2025**

राजेश कुमार मीणा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 12.05.2025
**आदेश की दिनांक** : 26.05.2025

**अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेंद्र पारीक, अधिवक्ता**

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति देने के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित नहीं करने में प्रतिवादियों की अवैध और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ वर्तमान अपील पेश की है, जिसे दंड आदेश दिनांक 22.01.2019 के कारण स्थगित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के बिना रोक दी गई थी, उक्त दंड आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 17.01.2023 के अपने आदेश के माध्यम से दंड आदेश को रद्द कर दिया। अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रति के साथ 07.06.2024 को तहसीलदार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन आज तक प्रत्यर्थी विभाग ने रिव्यू डीपीसी आयोजित करने और अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2011 को पटवारी के पद पर नियुक्त किया गया था।

अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 के राजस्व अभिलेखों का सत्यापन न करने के आरोप में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप–पत्र दिया गया तथा तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने आरोप–पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2014–15 के राजस्व अभिलेखों का सत्यापन न करने के उचित कारण बताए गए कि उस समय तक उन्होंने जनवरी 2015 में पटवार मंडल पचाला जिला टोंक में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उपखण्ड अधिकारी, उनियारा टोंक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन किये बिना अभिलेख पर उपलब्ध आदेश दिनांक 22.01.2019 के अनुसार अपीलार्थी को असंचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोक दी गई, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील की और अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.01.2023 के तहत अपील को स्वीकार कर लिया और दिनांक 22.01.2019 के दंड आदेश को रद्द कर दिया। (अनुलग्नक–2 एवं 3) वर्ष 2021–22 की राज्य वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 993 पर है। उसकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि अर्थात 18.1.2011 के अनुसार वह वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ पटवारी के पद पर पदोन्नति का हकदार है, लेकिन दण्ड आदेश के कारण उसे पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया तथा उससे कनिष्ठ व्यक्ति अर्थात वीरा देवी जिसका वरिष्ठता सूची में क्रमांक 994 पर स्थान है, को पदोन्नति प्रदान की गई है। जैसे ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दण्ड आदेश निरस्त किया गया, अपीलीय अधिकारी को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध उनकी वरिष्ठता स्थिति के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। (अनुलग्नक–4 एवं 5) अपीलार्थी ने दिनांक 07.06.2024 को प्रत्यर्थी विभाग से अनुरोध किया कि वे समीक्षा डीपीसी आयोजित करें तथा उसे उसकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्रदान करें, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी विनम्र अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ पटवारी के पद से निरीक्षक भू अभिलेख (आईएलआर) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं वर्ष 2022–23 के वरिष्ठ पटवारी के पद के लिए रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित करने के निर्देश दिए जावे साथ ही उससे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति की तिथि से सभी परिणामी लाभ दिलाए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**अध्यक्ष**